हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।
इस प्रा०पत्र से सम्बंधित मूल वाद में निर्णय
सुनाया जा चुका है अब इस प्रा०पत्र में
आगे कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित
नहीं रहा है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी
खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल
शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर
दाखिल हो।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)